"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013—फाल्गुन 24, शक 1934

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-3-62/2008/गृह-दो.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 41 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार (वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2013 कहलाएंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ;—

(अ) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007);

(ब) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन गठित छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकार;

(स) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का अध्यक्ष;

(द) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन गठित छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का सदस्य.

3. **वेतन तथा भत्ते.—**

(क) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते के बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के लिए हकदार होगा.

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (2) एवं (3) के अधीन नियुक्त सदस्य क्रमशः अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं राज्य शासन के सचिव के वेतन एवं भत्ते के बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे :

परंतु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से उसकी पूर्व सेवा (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) के लिए पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, पेंशन लेने के लिए चयन करने हेतु पात्र होगा, तो उसका वेतन निम्नानुसार होगा :—

(एक) उस पेंशन की रकम तक;

(दो) यदि उसने पद ग्रहण करने से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया था, तो पेंशन के उस भाग की रकम तक; और

(तीन) उसके द्वारा लिये या उपभोग किये जा रहे या लिये या उपभोग किये जाने वाले किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों (लाभ) तक, घटा दिया जायेगा.

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अधीन नियुक्त सदस्य के वेतन तथा भत्ते छत्तीसगढ़ शासन के सचिव के वेतन एवं भत्ते के बराबर होंगे.

4. **अवकाश.—**

(1) प्राधिकार के अध्यक्ष या कोई सदस्य निम्नानुसार अवकाश के लिए पात्र होंगे :—

(एक) सेवा के प्रत्येक संपूर्ण कैलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये 15 (पन्द्रह) दिन की दर से अर्जित अवकाश;

(दो) सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के संबंध में 20 (बीस) दिन की दर से चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर निजी कार्यों के लिये अर्द्ध वेतन अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश के लिए अर्जित अवकाश के दौरान अवकाश वेतन के आधे के समतुल्य होगा;

(तीन) अध्यक्ष या किसी सदस्य के विवेकानुसार अर्द्ध वेतन अवकाश पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है यदि वह चिकित्सीय आधार पर लिया जाए और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सीय प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित हो;

(चार) एक पदावधि में, वेतन और भत्तों के बिना अधिकतम 108 (एक सौ आठ) दिन तक का असाधारण अवकाश.

(2) पदावधि की समाप्ति पर, अध्यक्ष और सदस्य इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुये अपने अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के बराबर नकदी प्राप्त करने के हकदार होंगे, यथास्थिति, इस उप-नियम के अधीन या पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय भुनाई गई अधिकतम अवकाश किसी भी दशा में 300 दिन से अधिक नहीं होगा.

(3) अध्यक्ष और सदस्य प्राधिकार में उनके पद त्याग की तारीख को प्रवृत्त दरों पर उप-नियम (2) के अधीन अवकाश वेतन पर यथा अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परन्तु वे ऐसे अवकाश पर नगर क्षतिपूर्ति भत्ते या किसी अन्य भत्ते के लिये हकदार नहीं होंगे.

5. **अवकाश यात्रा रियायत.—** अध्यक्ष और सदस्य उन्हीं दरों से और उसी मान पर और उन्हीं शर्तों पर, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन के सचिव को, लागू हैं, अवकाश यात्रा रियायत के हकदार होंगे.

6. **अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी.**— अध्यक्ष या किसी सदस्य को अवकाश स्वीकृत करने या उससे इंकार करने या उसे मंजूर किए गये अवकाश के प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी.

7. **यात्रा भत्ते.**— अध्यक्ष और सदस्य, दौरे के दौरान (जिसके अंतर्गत प्राधिकार में कार्यभार ग्रहण करने या प्राधिकार से उसकी अवधि की समाप्ति पर उसके गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा भी सम्मिलित है) पात्र होंगे :—

(क) यात्रा भत्तों, वैयक्तिक वस्तुओं के परिवहन और ऐसी ही अन्य बातों के लिये भत्तों के वही मान और वही दरें लागू होंगी, जो छत्तीसगढ़ शासन के सचिव को लागू है.

(ख) दैनिक भत्ते की वही दरें लागू होगी जो छत्तीसगढ़ शासन के सचिव के हैं.

8. **सेवा की अन्य शर्तें.**— आवास, वाहन सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित सेवा की शर्तें और सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन के सचिव को तत्समय लागू हैं, जहां तक हो सके अध्यक्ष और सदस्य को लागू होंगी.

9. **साधारण भविष्य निधि में अभिदान का अधिकार.**— अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण भविष्य निधि में अभिदान करने का हकदार होगा.

10. **अवशिष्ट उपबंध.**—अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, में (भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य) से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन के सचिव को तत्समय लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा अवधारित किया जायेगा.

11. **नियमों को शिथिल करने की शक्ति.**— राज्य सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, ओएसडी/सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्रमांक एफ-3-62/2008/गृह-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 15-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, ओएसडी/सचिव.

Raipur, the 15th March 2013

NOTIFICATION

No. F-3-62/2008/Home-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 41 read with Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Goverment, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh State Police Accountability Authority (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007);

(b) "Authority" means the Chhattisgarh Police Accountability Authority constituted under sub-section (1) of Section 38 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Chhattisgarh Police Accountability Authority;

(d) "Member" means a member of the Chhattisgarh Police Accountability Authority constituted under sub-section (1) of Section 38 of the Act.

3. **Salary and allowances.**—

(a) The Chairman shall be entitled to receive salary and allowances equal to salary and allowances of the Judge of the High Court of Chhattisgarh.

(b) The Members appointed under sub-section (2) and (3) of Section 39 of the said Act shall be entitled to receive salary and allowances equal to salary and allowances of the Additional Director General of Police and Secretary of the State Government, respectively:

Provided that if the Chairman or any Member at the time of his appointment, was receiving pension (other than disability pension) for his previous service from the Central Government or the State Government, or being eligible so to do has elected to draw the pension, as the case may be, then his salary as Chairman or Member shall be as follows :—

(i) by the amount of that pension;

(ii) if he had received, before assuming office, in lieu of a part of pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that part of the pension; and

(iii) by any other form of retirement benefits, being drawn or availed of or to be drawn or availed of by him, shall be deducted.

(c) Salary and allowances of the members appointed under sub-section (4) of Section 39 of the said Act, shall be equal to the salary and allowances of the Secretary of the State Government.

4. **Leave.**—

(1) Chairman or any Member of the Authority shall be entitled to leave as follows :—

(i) Earned leave at the rate of 15 days for every completed calendar year of service or a part thereof;

(ii) Half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of 20 days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave ;

(iii) Leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of Chairman or a Member if it is taken on medical ground and is supported by a medical certificate from the Competent Medical Authority ;

(iv) Extraordinary leave without pay and allowances upto a maximum of 108 days in one term of the office.

(2) On the expiry of term of office, the Chairman and Member shall be entitled to receive cash equivalent to leave salary in respect of earned leave credited to his leave account subject to the condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule or at the time of retirement from previous service, as the case may be, taken together, shall not in any case exceed 300 days.

(3) The Chairman and the Member shall be entitled to receive dearness allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (2) at the rate in force on the date of the relinquishment of their office in the Authority :

Provided that they shall not be entitled to city compensatory allowance or any other allowance on such leave.

5. **Leave travel concession.**— The Chairman and the Members shall be entitled to leave travel concession at the same reates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to a Secretary to the Government of Chhattisgarh, belonging to the Indian Administrative Service.

6. **Competent Authority to grant leave.**—The power to grant or refuse leave to the Chairman or a Member and to revoke or curtail leave granted to him shall vest in the Governor.

7. **Travel allowances.**—The Chairman and the Members, while on tour (including the journey undertaken to join the Authority or on the expiry of his term with the Authority to proceed to his home-town) shall be entitled to :—

(a) Travel allowances, allowances for transportation of personal belongings and other similar matter at the same scale and at the same rate as are admissible to a Secretary to the Goverment of Chhattisgarh;

(b) Daily allowance at the same rates as are admissible to a Secretary to the Government of Chhattisgarh.

8. **Other conditions of service.**— The other conditions of service relating to provision of accommodation, conveyance facilities, medical facilities and such other conditions of service as are, for the time being, applicable to a Secretary to the Government of Chhattisgarh, member of the Indian Administrative Service, shall so far as may be, applicable to the Chairman and the Members.

9. **Right to subscribe to General Provident Fund.**— Every person holding office as a Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund.

10. **Residuary Provisions.**— Matter relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be determined by the rules or orders, for the time being in force, applicable to Secretary to the Government of Chhattisgarh (Member of Indian Administrative Service).

11. **Power to relax rules.**—The State Government shall have the power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, OSD/Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.